भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1049

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है ।

21 माघ, 1944 (शक)

फर्जी आधार कार्ड

1049. डा. के. लक्ष्मण :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार आधार और मतदाता पहचान पत्र के बीच लिंक का दुरुपयोग होने से रोकने का तरीका खोज रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): आधार डिजिटल पहचान प्रमाणीकरण प्रणाली अत्यधिक सुरक्षित है और अपनी महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए अत्यधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।

आधार (वित्तीय और अन्य छूट, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम") की धारा 3 के तहत भारत के प्रत्येक पात्र निवासी को आधार संख्या के रूप में डिजिटल पहचान जारी की जाती है । आधार अधिनियम की धारा 4(3) में प्रावधान है कि प्रत्येक आधार संख्या धारक अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से स्वेच्छा से भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपनी आधार संख्या का उपयोग कर सकता है।

डिजिटल पहचान (आधार) को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ ऑनलाइन/ऑफलाइन (आधार पत्र/ई-आधार/आधार पीवीसी कार्ड पर मुद्रित क्यूआर कोड को स्कैन करके) प्रक्रिया के माध्यम से प्रमाणित किया जाना है।यह सेवा यूआईडीएआईकी वेबसाइट के साथ-साथ एम आधार ऐप पर भी उपलब्ध है ।

इसके अलावा, जब भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस तरह के नकली आधार संबंधी समस्या की सूचना दी जाती है, तो वे भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होते हैं ।

(ख) और (ग): आधार पहचान प्लेटफॉर्म का उपयोग कर मतदाता सूची में मतदाताओं का प्रमाणीकरण आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) और भारत के चुनाव आयोग को राष्ट्रीय वोटर सेवा पोर्टल/वोटर पोर्टल/वोटर हेल्पलाइन एप/एरोनेट (इलेक्टोरल रोल प्रबंधन और फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए केंद्रीकृत सोफ्टवेयर)में स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं के आधार अधिप्रमाणन के प्रदर्शन,आधार अधिनियम,2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप खंड (ii) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण,नवाचार,ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के तहत केंद्र सरकार को अधिसूचित किये जाने के प्राधिकार के विषय में सूचित किया है ।

आधार अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अनुसार, निवासी की आधार संख्या का उपयोग, उसकी सहमति लेने के बाद, केवल निवासी को सूचित किए गए उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है ।

****